रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 92] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 1970/वैशाख 24, 1892

No. 92] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 1970/VAISAKHA 24, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 14th May 1970

G.S.R. 802.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 33 of the Finance Act, 1970 (19 of 1970), the Central Government hereby exempts the excisable goods specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the Items, specified in column (2) of the said Table, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter called the Central Excises Act), from so much of the special duty of excise leviable thereon under sub-

section (1) of section 39 aforesaid as is in excess of the duty specified in the corresponding entries in column (4) of the said Table and subject to the conditions laid down in the corresponding entries in column (5) thereof:—

THE TABLE

S. No.	Item No. of the First Schedule to the Central Excises Act	Description	Duty as percentage of duty leviable under the Central Excises Act read with any notification for the time being in force	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2(2)	Coffee commercially known as "instant coffee"	Nil.	
2	3(1)	All varieties of the (except package tea and instant tea)	Nil.	
3	6	Motor spirit	Nil.	
4	8	Refined Diesel Oils and vaporizing oil	Nil.	
5	9	Diesel Oil, not otherwise specified.	Nil.	
6	13	Vegetable Product.	Nil.	
7	14D	Synthetic organic dyestuffs (including pigment dyestuffs) and synthetic organic derivatives used in any dyeing process.	Nil.	
8	15B	Cellophane.	Nil.	
9	16	Tyres for motor vehicles but only on the first clearances for home consumption during the period commencing on the 1st April, 1970 and ending on the 31st March, 1971 (both days inclusive) upto a total value of Rs. 1·25 crores.	Nil.	If the total value of the tyres for motor vehicles cleared by the manufacturer during the financial year 1969-70 for home consumption did not exceed Rs. 4 crores.
10	17(3)	Printing and weiting paper (including all unbleached, badami, cream-laid and cream wove varieties thereof, but not including other coloured or tinted varieties), of a substance not exceeding 75 grammes per square metre.	Nil	If such paper does not contain in its substance any rag in the form of pulp or if it contains any rag, it also contains in its substance not less than 40 percent of bagasse of Jute stalk or cereal straw in the form of pulp.
		Explanation.—For the purpose of this entry, addition of colour to improve the whiteness of the paper shall not be considered as making the paper coloured or tinted.		*Explanation.*—The expression 'rag in the form of pulp' does not include pulp made out of soiled rags taken from worn and torn pieces of garments or from

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				soiled scraps of cloth (collected either from residential quarter or from streets or from debris dumps), or from such worn and torn pieces of garmetns and soiled scraps sof cloth
11	18A	Cotton twist, yarn and thread, all sorts.	Nil.	
12	23A	Class and Glassware other than sheet glass and plate glass.	Nil.	
13	23B	Chinaware and porcelainware.	Nil.	
14	28	Tin plate and tinned sheets including tin taggers, and cuttings of such plates, sheets or taggers.	Nil.	
15	32(1)	Vacuum and gas-filled electric lighting bulbs not exceeding 60 watts, but excluding electric lighting bulbs of the type known commercially as "Miniature lamps".	Nil.	

[No. 110/70.]

G.S.R. 803.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 33 of the Finance Act, 1970 (19 of 1970), the Central Government hereby exempts the excisable goods specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under Item No. 18 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the special duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of the said section 33 as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) or column (4), as the cases may be, of the said Table:

THE TABLE

Sl. No.	Description	Duty	
		In the case of manufactures whose clearances of staple fibre of cellulosic origin and of rayon and synthetic yarn consisting entirely of cellulose derivatives or regenerated cellulose or both, taken together, for home consumption during financial year 1966-67 did not exceed 36·5 lakh kilograms.	in other cases.
1	2		4
		(Rs. per kilogram)	
1	Yarn spun :—		
	(a) wholly out of synthetic staple fibre of cellulosic origin.	Nil.	Nil.
	(b) partly out of such staple fibre and partly out of cotton, provided that the cotton content of the yarn does not exceed 40 per cent. of its weight.	Nil.	Nil.

1	2	3	4
2.	Rayon and synthetic yarn consisting entirely of cellulose derivatives or regenerated cellulose or both.	5	5
	(*i*) below 75 denries	2·40	2·80
	(*ii*) 75 deniers and above but below 100 deniers	1·70	1·75
	(*iii*) 100 deniers and above but below 120 deniers.	1·15	1·15
	(*iv*) 120 deniers and above but below 150 deniers	0·85	1·00
	(*v*) 150 deniers and above but below 350 deniers.	0·75	0·90
	(*vi*) 350 deniers and above	Nil.	Nil.

[No. 111/70.]

G.S.R. 804.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 33 of the Finance Act, 1970 (19 of 1970), the Central Government hereby exempts strawboard and millboard falling under Item No. 17(3) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the special duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of the said section 33.

Explanation:—For the purposes of this notification,

(1) 'millboard' means any unbleached homogeneous board, having thickness exceeding 0.50 millimetres and made out of mixed waste papers with or without screenings and mechanical pulp but without any colouring matter being added thereto;

(2) 'Strawboard' means a board made wholly or predominantly from partially cooked unbleached straw or bagasse or grasses or a mixture of these:

Provided that—

(i) the quantity of any other material used shall not exceed one-third in weight of the total weight of the ingredients,

(ii) such board shall not be specially compressed and shall not have any paper pasted on either surface.

[No. 112/70]

G.S.R. 805.—In exercise of the powers conferred by rule 12 and 12A of the Central Excise Rules, 1944, read with section 33 of the Finance Act, 1970 (19 of 1970), the Central Government hereby directs that where any goods have been subjected to a special duty of excise under the aforesaid section and where on the export of such goods the Central Government has, by a notification issued under the said rules 12 and 12A, permitted the rebate of excise duty paid on such goods under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), a rebate of the special duty of excise shall also be made in full subject to the same conditions as govern the rebate of excise duty.

[No. 113/70]

G.S.R. 806.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 33 of the Finance Act, 1970 (19 of 1970), the Central Government hereby exempts silk fabrics falling under sub-item (2) of Item No. 20 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from the whole of special duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of section 33 aforesaid.

[No. 114/70]

G.S.R. 807.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 33 of the Finance Act, 1970 (19 of 1970), the Central Government hereby exempts excisable goods referred to in sub-section (1) of section 33 of the aforesaid Act and in respect of which goods a notification under sub-rule (1) of rule 8 the aforesaid Rules has been issued by the Central Government exempting them from so much of the duty of excise leviable threon as is equivalent to the amount of the duty of excise already paid on other excisable goods (hereinafter referred to as "intermediate products") used in their manufacture and which are specified in the respective notification, from so much of the special duty of excise leviable thereon as is equivalent to the special duty of excise already paid on the intermediate products specified in the respective notification.

[No. 115/70]

G.S.R. 808.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 33 of the Finance Act, 1970 (19 of 1970), the Central Government hereby exempts woollen fabrics, falling under sub-item (2) of Item No. 21 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) which have been manufactured from the base fabrics on which no special duty of excise has been paid, from so much of the special duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of section 33 aforesaid as is in excess of the special duty of excise for the time being leviable on the base fabrics contained in such woollen fabrics falling under sub-item (2) aforesaid:

Provided that where the special duty of excise has already been paid on the base fabrics, fabrics falling under the aforesaid sub-item (2) shall be exempt from the whole of special duty of excise leviable thereon.

[No. 116/70]

G.S.R. 809.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 33 of the Finance Act, 1970 (19 of 1970), the Central Government hereby exempts rayon and artificial silk fabrics, falling under sub-items (2) and (3) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) which have been manufactured from the base fabrics on which no special duty of excise has been paid, from so much of the special duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of section 33 aforesaid as is in excess of the special duty of excise for the time being leviable on the base fabrics contained in such rayon or artificial silk fabrics falling under sub-items (2) and (3) aforesaid:

Provided that where the special duty of excise has already been paid on the base fabrics, the fabrics falling under the aforesaid sub-items (2) and (3) shall be exempt from the whole of special duty of excise leviable thereon.

[No. 117/70]

E. R. SRIKANTIA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 14 मई, 1970

सा० का० नि० 802.—वित्त अधिनियम, 1970 (1970 का 19) की धारा 33 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें

इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची की मदों के जो उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट हैं अन्तर्गत आने वाले उत्पाद-शुल्क योग्य माल को पूर्वोक्त धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने विशेष उत्पाद-शुल्क से उस सारणी के स्तम्भ 5 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए एतद्द्वारा छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ 4 में की तत्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो :—

सारणी

क्रम सं०	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद संख्या	वर्णन	तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के प्रतिशत के रूप में शुल्क	शर्त
1	2	3	4	5
1	2(2)	कॉफी जो वाणिज्यिक रूप से "इंस्टेंट काफी" के नाम से ज्ञात है	कुछ नहीं	
2	3(1)	सभी किस्मो की चाय (पैकेज चाय और इंस्टेंट चाय को छोड़ कर)	कुछ नहीं	
3	6	मोटर स्प्रिट	कुछ नहीं	
4	8	परिष्कृत डीजल तेल और वाष्पन तेल	कुछ नहीं	
5	9	डीजल तेल जो अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है ।	कुछ नहीं	
6	13	वनस्पति उत्पाद	कुछ नहीं	
7	14 ध	संश्लिष्ट कार्बनिक रंजक द्रव्य (जिसके अन्तर्गत वर्णक रंजक द्रव्य भी है) और संश्लिष्ट कार्बनिक व्युत्पन्न वस्तुएं जो किसी रंजक प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाती है ।	कुछ नहीं	

1	2	3	4	5
8	15क	सिलीफेन	कुछ नहीं	
9	16	मोटर गाड़ियों के लिए टायर किन्तु 1 अप्रैल 1970 को आरम्भ होने वाली तथा 31 मार्च 1971 को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान (जिसके अन्तर्गत ये दोनों ही तारीखें आती हैं) गृह उपभोग के लिए प्रथम निकासी पर ही 1.25 करोड़ रुपये के कुल मूल्य तक ।	कुछ नहीं	यदि 1969–70 के वित्तीय वर्ष के दौरान गृह उपयोग के लिए विनिर्माता द्वारा निकासी किए गए मोटर गाड़ियों के टायरों का कुल मूल्य 4 करोड़ रुपये से अधिक न हो ।
10	17(3)	75 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से अनधिक पदार्थ का छपाई और लिखाई का कागज (जिसके अन्तर्गत उसकी सभी अविरंजित, बादामी क्रीम-लेड और क्रीमवोव किस्में आती हैं किन्तु अन्य रंगीन या अरंजित किस्में नहीं आती)	कुछ नहीं	यदि ऐसे कागज में उस पदार्थ में पल्प के रूप में कोई चीवर न हो अथवा यदि उसमें कोई चीवर हो तो उसमें उसके पदार्थ में पल्प के रूप में 40 प्रतिशत से अनधिक बगास पटसन के वृक्ष या अनाज तृण भी हों ।
		स्पष्टीकरण—इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, कागज की सफेदी बढ़ाने के लिए रंग डालना, कागज को रंगना या आरंजित करना नहीं समझा जाएगा ।		स्पष्टीकरण— 'पल्प के रूप में चीवर' पद के अन्तर्गत ऐसा पल्प नहीं आता जो कटे-फटे वस्त्रों के गंदे चिथड़ों से,

1	2	3	4	5
				या (निवास गृहों या सड़कों या गंदे ढेरों से इकट्ठा किए गए) कपड़े से गंदे टुकड़ों से, या ऐसे ही कटेफटे वस्त्रों एवं कपड़े के गंदे टुकड़ों से बना हो ।
11		18क सूती ट्विस्ट सूत और धागा, सभी किस्म का ।	कुछ नहीं	
12		23क काच और कांच का सामान जो शीट ग्लास और प्लेट ग्लास से भिन्न हो ।	कुछ नहीं	
13		23ख चाइनावेयर और पोर्सलेन वेयर	कुछ नहीं	
14		28 टिन प्लेट और टीन की शीटें, जिनके अन्तर्गत टीन टैगर्स आती है और ऐसी प्लेटों, शीटों और टैगरों की कतरनें	कुछ नहीं	
15	32(1)	60 वाट से अनधिक के बिजली के निर्वात या गैस भरे प्रकाश बल्ब किन्तु इसके अन्तर्गत वाणिज्यिक रूपसे "मिनिएचर लैम्प" के नाम से ज्ञात बिजली के प्रकाश बल्ब नहीं आते ।	कुछ नहीं	

[सं० 110/70]

सा० का०नि० 803.—वित्त अधिनियम, 1970 (1970 का 19) की धारा 33 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क-योग्य माल को जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 18 के अन्तर्गत आता है, उक्त धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के, यथास्थिति, स्तम्भ 3 या 4 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो :

सारणी

क्रम संख्या	वर्णन	शुल्क	अन्य दशाओं में
	ऐसे विनिर्माताओं की दशा में जिनकी सेलूलोजिक उद्भव के तथा रेयन और सांश्लिष्ट सूत के, जो पूर्णतया सैलूलोज व्युत्पन्नों से या पुनर्योजित सैलूलोज से या दोनों से साथ साथ मिलकर बना है, तन्तुक फाइबर की गृह उपभोग के लिए निकासी 1966–67 के वित्तीय वर्ष के दौरान 36.5 लाख किलोग्राम से अधिक की नहीं थी।		
1	2	3	4
		(रु० प्रति किलोग्राम)	
1	(क) सैलूलोजिक उद्भव के पूर्णतया संश्लिष्ट तन्तुक फाइबर से कता सूत	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ख) अंशतया ऐसे तन्तुक फाइबर से और अंशतया रूई से कता सूत परन्तु यह तब जब सूत में रूई की मात्रा उसके वजन के 40 प्रतिशत से अधिक न हो।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	रेयन और संश्लिष्ट सूत जो पूर्णतया सैलूलोज व्युत्पन्नों या पुनर्योजित सैलूलोज से या दोनों से मिलकर बना हो।		
	(i) 75 डेनियर से नीचे	2.40	2.80

1	2	3	4	5
	(ii) 75 डेनियर और उससे ऊपर किन्तु 100 डेनियर से नीचे		1.70	1.75
	(iii) 100 डेनियर और उससे ऊपर किन्तु 120 डेनियर से नीचे		1.15	1.15
	(iv) 120 डेनियर और उससे ऊपर किन्तु 150 डेनियर से नीचे		0.85	1.00
	(v) 150 डेनियर और उससे ऊपर किन्तु 350 डेनियर से नीचे		0.75	0.90
	(vi) 350 डेनियर और उससे ऊपर		कुछ नहीं	कुछ नहीं

[सं० 111/70]

सा० का० नि० 804.—वित्त अधिनियम, 1970 (1970 का 19) की धारा 33 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 17(3) के अन्तर्गत आने वाले स्ट्राबोर्ड और मिलबोर्ड को उक्त धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए —

(1) "मिलबोर्ड" से ऐसा अविरंजित सभांग बोर्ड अभिप्रेत है जिसकी मोटाई 0.50 मिलीमीटर से अधिक हो और जो छानन सहित या छानन रहित मिश्रित रद्दी कागजों और यांत्रिक पल्प से बनाया गया हो किन्तु जिसमें कोई रंजक द्रव्य न डाला गया हो;

(2) "स्ट्राबोर्ड" से ऐसा बोर्ड अभिप्रेत है जो अंशतया पकाए हुए अविरंजित तृणों या बगास या घास या इनके मिश्रण से पूर्णतया या प्रमुखतया बनाया गया हो :
परन्तु—

(i) किसी अन्य प्रयुक्त पदार्थ की मात्रा संघटकों के कुल वजन के एक तिहाई वजन से अधिक नहीं होगी ;

(ii) ऐसा बोर्ड विशेष रूप से संपीडित नहीं होगा और उसके ऊपर और नीचे की सतहों पर कोई कागज चिपका नहीं होगा ।

[सं 112/70]

सा० का० नि० 805:—वित्त अधिनियम 1970 (1970 का 19) की धारा 33 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 12 और 12क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि जहां कोई माल पूर्वोक्त धारा के अधीन किसी विशेष उत्पाद-शुल्क के अध्यधीन कर दिया गया है और जहां ऐसे माल के निर्यात पर केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियम 12 और 12क के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा, ऐसे उत्पाद-शुल्क का रिबेट अनुज्ञात किया है, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन ऐसे माल पर दिया जाता है, वहां विशेष उत्पाद-शुल्क का रिबेट भी उन्हीं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए पूरा पूरा दिया जाएगा जो उत्पाद-शुल्क के रिबेट को शासित करती है ।

[सं० 113/70]

सा० का० नि० 806:—वित्त अधिनियम 1970 (1970 का 19) की धारा 33 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के, नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 20 की उप-मद (2) के अन्तर्गत आने वाले रेशमी फैब्रिक को पूर्वोक्त धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है

[सं० 114/70]

सा० का० नि० 807:—वित्त अधिनियम 1970 (1970 का 19) की धारा 33 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उपर्युक्त अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) में उल्लिखित उत्पाद-शुल्क योग्य माल को, जिस कबाबत पूर्वोक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन एक अधिसूचना, उस माल को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से, जितना उस माल के विनिर्माण में प्रयोग में लाए गए और सम्बद्ध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अन्य उत्पाद-शुल्क योग्य माल पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अन्तवर्ती उत्पाद" कहा गया है) दिए जा चुके उत्पाद-शुल्क की रकम के बराबर है, छूट देते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई है, उस पर उद्ग्रहणीय उतने विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना सम्बद्ध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अन्तर्वर्ती उत्पाद पर दिये जा चुके विशेष उत्पाद शुल्क के बराबर है ।

[सं० 115/70]

सा० का० नि० 808:—वित्त अधिनियम, 1970 (1970 का 19) की धारा 33 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 21 की उप-मद (2) के अन्तगत आने वाले ऊनी फैब्रिक को जो ऐसे आधारी फैब्रिकों से विनिर्मित किया गया है, जिस पर कोई विशेष उत्पाद-शुल्क नहीं दिया गया है, पूर्वोक्त धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने विशेष उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना पूर्वोक्त उप-मद (2) के अन्तर्गत आने वाले ऐसे ऊनी फैब्रिकों में अन्तर्विष्ट आधारी फैब्रिकों पर तत्समय उद्ग्रहणीय विशेष उत्पाद-शुल्क से अधिक हो :

परन्तु जहां विशेष उत्पाद-शुल्क आधारी फैब्रिकों पर दिया जा चुका है वहां पूर्वोक्त उप-मद (2) के अन्तर्गत आने वाले फैब्रिकों को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट दी जाएगी ।

[सं० 116/70]

सा० का० नि० 809:—वित्त अधिनियम, 1970 (1970 का 19) की धारा 33 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 22 की उप-मदों (2) और (3) के अन्तर्गत आने वाले रेयन और कृत्रिम रेशमी फैब्रिकों, जो ऐसे आधारी फैब्रिकों से विनिर्मित किए गए हैं जिन पर कोई विशेष उत्पाद-शुल्क नहीं दिया गया है, पूर्वोक्त धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने विशेष उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना पूर्वोक्त उप-मदों (2) और (3) के अन्तर्गत आने वाले ऐसे रेयन और कृत्रिम रेशमी फैब्रिकों में अन्तर्विष्ट आधारी फैब्रिकों पर तत्समय उद्ग्रहणीय विशेष उत्पाद-शुल्क से अधिक हो;

परन्तु जहां विशेष उत्पाद-शुल्क आधारी फैब्रिकों पर दिया जा चुका है वहां पूर्वोक्त उप-मदों (2) और (3) के अन्तर्गत आने वाले फैब्रिकों को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट दी जायगी ;

[सं० 117/70]

ई० आर० श्रीकान्तीया,
उप सचिव, ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970